

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-46/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि.
प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी
मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा,
जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी
श्री रामदीन

- देवी सिंह पुत्र भंवर सिंह
13, गांव तलिया, लवेरा खुर्द, तहसील
बावडी, जोधपुर
- नटवर सिंह पुत्र भंवर सिंह
13, गांव तलिया, लवेरा खुर्द, तहसील
बावडी, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-23-06-2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण देवी सिंह पुत्र भंवर सिंह व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 3,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण देवी सिंह पुत्र भंवर सिंह की जायदाद पट्टा नं. 6, मिसल नम्बर 10/2018-19, ग्राम लवेरा खुर्द, तहसील बावडी, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 83.77 वर्ग गज, जिसके उत्तर में सार्वजनिक चौक व निकास, दक्षिण में नेताराम सैन का मकान, पूर्व में दुर्ग सिंह का मकान व पश्चिम में सार्वजनिक चौक आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज



Signature valid

Digitally signed by Chandra Singh Rathore, Designation: Collector & District Magistrate, Date: 2025.06.23 19:29:36 IST, Reason: Approved

